01/12/14

वकुलाय जमीन के फैसले की कॉपी वादी व वादी के अधिवक्ता द्वारा मांगी जाने पर अधिवक्ता द्वारा निर्णय के पश्चात न्यायालय समय तक हाजिर नहीं होने से वाद वादी, अधिवक्ता की अवमानना हेतु कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं निर्णय फैसले शुल्क देकर नकल ले सकते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़